ग्वालियर संस्करण की नई विज्ञापन दरें

वर्गीकृत विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 50 शब्द, प्रत्येक अतिरिक्त शब्द 5 रूपये, शीर्षक शुल्क 100 प्रतिशत अतिरिक्त	3 DAYS 100/-	15 DAYS 500/-	1 MONTH 1000/-
डिस्पले क्लासिफाइड विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	1 DAYS 500/-	7 DAYS 1800/-	1 MONTH 3000/-
पगड़ी रस्म, पुण्यतिथि फोटो सहित	Size 8x1	Rs. 500/-	
गुमशुदा, जन्मदिन, बधाई	Size 8x1	Rs. 1000/-	
वैवाहिक	Size 6x1	Rs. 500/-	
नाम परिवर्तन, लीज पॉलिसी परिवर्तन, खोया-पाया	Display Classified Rate		
वैवाहिक विज्ञापन कम से कम 40 शब्द (केवल मध्यप्रदेश) 5 रूपये अतिरिक्त शब्द	Rs. 500/-		

Contact:-
Nava Bharat Bhavan, City Center, Gwalior
Ph. 0751-4086200, 9479319990
E-mail address-bharatnava@gmail.com

पाठकगण किसी भी वर्गीकृत विज्ञापन पर पहल करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर संपर्क करें. इस संबंध में नवभारत समाचार- पत्र की जिम्मेदारी नहीं होगी.

सिंधिया का मेला व्यापारियों को भरोसा- पुराने दुकानदारों का आरक्षण होगा, आरटीओ टैक्स छूट भी मिलेगी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 सितम्बर. ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज शाम नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मंत्रालय में भेंट कर उन्हें ग्वालियर व्यापार मेला में आने वाले पारंपरिक व्यापारियों, दुकानदारों को दुकान आवंटन में होने वाली असुविधा एवं अन्य समस्याओं व मांगों से अवगत कराते हुए उनके निराकरण के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। मेला व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आश्वस्त किया कि ग्वालियर मेला में पीढ़ी दर पीढ़ी दुकानें लगाते आ रहे व्यापारियों एवं पारंपरिक दुकानदारों की दुकानें पूर्व की तरह आरक्षित की जाती रहेंगी, इसलिए मेला व्यापारी अपनी दुकानों के प्रति निश्चिंत रहें। सिंधिया ने यह भी भरोसा दिया कि मेला प्राधिकरण बोर्ड का गठन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, राज्य सरकार के संबंधित विभागों एवं प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा कि इस वर्ष का मेला निर्धारित समयावधि पर प्रारंभ हो, इसके लिए अभी से ही सभी आवश्यक तैयारियां की जाएंगी।

सिंधिया से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भदकारिया, सचिव महेश मुदगल, संयोजक उमेश उप्पल, संयुक्त अध्यक्ष एवं प्रवक्ता अनिल पुनियानी, सह संयुक्त अध्यक्ष जगदीश उपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष अनुज गुर्जर, ऋषि कंसाना शामिल थे। सिंधिया ने मेला व्यापारियों के प्रति अपना समर्थन यह कहकर व्यक्त किया चिंता नहीं करें, मैं हूं न। मेला व्यापारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मेला की मौजूदा कुव्यवस्था को देखते हुए सिंधिया से हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए मांग की कि सवासौ साल का गौरवशाली अतीत रखने वाले ग्वालियर व्यापार मेला का आयोजन इस वर्ष समय से हो, दुकान आवंटन से लेकर आरटीओ टैक्स में पचास फीसदी छूट का निर्णय जैसी सभी प्रक्रियाएं अभी ही पूर्ण कर ली जाएं.

एक नजर में

प्राध्यापकों के साथ छात्राओं का रोचक खेलों का हुआ आयोजन

ग्वालियर। विजयराजे शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार ने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन डॉ. अनुपमा श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष अंग्रेज़ी, डॉ. दिनेश चतुर्वेदी, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र एवं पुष्पेंद्र सिंह पाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. ज्योति उपाध्याय ने की। इस वर्ष विशेष अतिथि के रूप में वे प्राध्यापक आमंत्रित किए गए, जो इस सत्र में सेवानिवृत्त हो रहे हैं—प्रो. डॉ. राकेश श्रीवास्तव, प्रो. के.के. श्रीवास्तव एवं प्रो. आर.एन. खंडेलवाल। इनके योगदान और शिक्षा जगत में किए गए कार्यों को विद्यार्थियों और सहकर्मियों द्वारा विशेष रूप से याद किया गया। इस अवसर पर छात्र संघ अधिकारी प्रो. साधना तोमर, आईक्यूएसी प्रभारी डॉ. रेनू नायर तथा महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन ज्योति द्वारा प्रस्तुत किया गया। पूरे आयोजन का संचालन एम.ए. तृतीय सेमेस्टर की छात्राएँ आकांक्षा राजे एवं मानसी ने किया। छात्राओं के सुव्यवस्थित संचालन और संगठन क्षमता की सभी ने सराहना की। यह शिक्षक दिवस महाविद्यालय के लिए इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि इसमें गुरु और शिष्य के संबंधों की गहराई और आत्मीयता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया गया।

टमटम से महिला का पर्स पार, 1 लाख के गहने रखे थे

ग्वालियर। मुरैना से ग्वालियर आई महिला का पर्स चोरी हो गया। पर्स में करीब 1 लाख रुपए के गहने रखे हुए थे। महिला के साथ वारदात उस समय हुई जब वह टमटम में बैठकर जा रही थीं। वारदात महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम में 26 अगस्त की है और पुलिस ने इस मामले में पूरे 10 दिन बाद मामला कायम कर अपनी फुर्ती का परिचय दिया है। किरन शर्मा पत्नी प्रमोद शर्मा निवासी रामनगर मुरैना 26 अगस्त को ग्वालियर आई थीं। इन्हें शताब्दीपुरम जाना था इसलिए यादव धर्मकांटा से टमटम में बैठ गईं। दोपहर करीब 1 बजे किरन का ध्यान अपने पर्स की तरफ गया तो टमटम में पर्स नहीं था। किरन ने तुरंत टमटम को रुकवाया और पर्स तलाशने लगीं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पर्स में सोने-चांदी के जेवरात रखे थे, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। टमटम से पर्स चोरी होने के बाद किरन शर्मा महाराजपुरा थाने पहुंचीं और पुलिस को घटनाक्रम से अवगत कराया। पुलिस ने उस समय आवेदन लिया और जांच शुरू की। जांच के 10 दिन बाद बीती रात किरन शर्मा की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया।

वाइन शॉप में चोरों ने बोला धावा, महंगी शराब व नगदी पार

ग्वालियर। जिले में सक्रिय चोरों ने देर रात एक वाइन शॉप में धावा बोल दिया, जो वहां से महंगी शराब व नगदी पार कर भाग निकले। घटना डबरा सिटी थाना क्षेत्र की है, जिसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस द्वारा आरोपी का पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। डबरा सिटी थाना क्षेत्रांतर्गत ठाकुर बाबा रोड स्थित एम. बालाजी गार्डन के सामने कंपोजिट मदिरा की दुकान को बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। बाउंड्री वॉल तोड़कर दुकान के भीतर दाखिल हुए चोर गल्ले में रखी नगदी सहित महंगी शराब की बोतलें चुराकर ले गए हैं। आबकारी ठेकेदार विकास शिवहरे ने बताया कि रात 11 बजे के लगभग दुकान बंद की गई थी। इसके बाद देर रात चोर अंदर घुसे। हालांकि बताया जा रहा है कि चोर दुकान में से अधिक कुछ नहीं ले जा सके हैं। शराब की दुकान में घुसा चोर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज में दुकान के भीतर एक युवक नजर आ रहा है, जो पहले गल्ले में हाथ डालता है, लेकिन उसमें अधिक पैसे नहीं मिलने पर कुछ शराब की बोतलें समेटता है, और बाहर निकल जाता है। इन फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी की तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को चिंहित भी कर लिया है, जिससे जल्द ही उसे गिरफ्तार कर इस चोरी का खुलासा होने की उम्मीद है।

कांग्रेस साधारण सभा की बैठक आज

ग्वालियर 5 सितंबर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी की साधारण सभा बैठक आज दिनांक 06 सितम्बर 2025 को दोपहर 3.00 बजे कांग्रेस भवन, शिंदे की छावनी परं आयोजित की गई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस साधारण सभा की बैठक में पार्टी की भावी रणनीति, संगठन की मजबूती तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह बैठक पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और संगठन को नई दिशा देने का कार्य करेगी। सभी कांग्रेसजन समय पर उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाएं। बैठक में विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, मंडलम कांग्रेस, सेक्टर कांग्रेस, कांग्रेस विभाग प्रकोष्ठ, पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रत्याशी सहित समस्त कांग्रेस जन उपस्थित रहेंगे।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सूरज मुखी पत्नी स्व. श्री रामशंकर निवासी 106, राम नगर, चार शहर का नाका, ग्वालियर की हूँ। मेरे पति स्व. रामशंकर पुत्र स्व. रेवती लाल जो कि जे.सी. मिल डाईंग खाते में कार्यरत थे, जिनका पी.पी.ओ. क्र. 6881 है। पति का निधन दिनांक 08.02.2024 को हो गया है, पति के सर्विस रिकॉर्ड में पत्नि के रूप में मेरा नाम विमला अंकित हो गया है जो मेरी घर की बोलचाल का नाम है जबकि मेरे आधारकार्ड क्र. 6971 4531 0379, वोटरकार्ड, परिवार आई.डी., बैंक खाते आदि में मेरा नाम सूरज मुखी पत्नी रामशंकर अंकित है जो सत्य एवं सही है। इस प्रकार विमला व सूरज मुखी दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होकर मेरे ही हैं। सही नाम सूरज मुखी को स्वीकार किया जावे, इसी नाम से मुझे जाना पहचाना जाता है। सूचित हों। इति दिनांक- 04.09.2025

नाम परिवर्तन सूचना

मैं क्रमांक JC471295Y SUB (RT) अब्दुल वाहिद पुत्र कल्लू खान निवासी सिंहपुर रोड, एम.एच. चौराहा मुरार, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) Unit 6 Raj Rif घोषणा करता हूँ कि मेरी माँ का नाम मेरे सेवा अभिलेखों में SAYARA BEGUM दर्ज है। उनका सही नाम SAYARA BEGAM है, जो उनके जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में दर्ज है। अतः मैंने शपथ पत्र दिनांक 03-09-2025 के तहत अपनी माँ का नाम SAYARA BEGUM से SAYARA BEGAM कर लिया है। मेरे सेवा अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीजयभान सिंह पुत्र श्री लज्जाराम बघेल निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील जिला मुरैना द्वारा एक आवेदन पत्र ऋण प्राप्त करने हेतु हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड शाखा मुरैना में प्रस्तुत किया है। जिसमें पूर्व का एक विक्रय पत्र जो कि श्रीनारायण पुत्र श्री सोनेराम के द्वारा श्रीमती शशि शर्मा पत्नी श्री रामकुमार शर्मा के हक़ में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. 4344 के द्वारा 925 वर्गफुट रकवा दिनांक 26/03/2014 को विक्रय किया गया है। उक्त संपत्ति जो की ग्राम बड़ोखर तहसील मुरैना डिस्ट्रिक्ट मुरैना में स्थित है सर्वे क्र.112/38 का भाग है। उक्त विक्रय पत्र कहीं गुम हो गए हैं। उपरोक्त संपत्ति के सम्बन्ध में यदि किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी हित, हक़ हो तथा संपत्ति को बंधक रखने में आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज़ करा सकता है। अतएव इस आम सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि ऊपर लिखे संपत्ति के सम्बन्ध में कोई भी बैंक, वित्तीय संस्था, प्राइवेट फाइनेंसर आदि के पास उपरोक्त विक्रय पत्र, प्लाट, संपत्ति, पूर्व से रहन दानपत्र, अथवा विक्रय पत्र आदि से बंधक हो तो या अन्य किसी भीप्रकार से संपत्ति को बंधक रखने में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मय दस्तावेजों के लिखतम आपत्ति मेरे कार्यालय में दर्ज़ कराएं। अवधि उपरांत मेरा पक्षकार हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा ग्वालियर द्वारा उपरोक्त संपत्ति को बंधक रखकर ऋण दिए जाने की कार्यवाही निष्पादित करा ली जावेगी। उसके बाद की समस्त आपत्ति मेरे पक्षकार के मुकाबले प्रभावहीन व शून्यवत होंगी।

MAHESH UPADHYAY
ADVOCATE - GWALIOR

आम सूचना

श्री भारत बघेल पुत्र श्री भरोसीराम एवं श्रीमती नमनीत बघेल पत्नी श्री भारत बघेल के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति म्युनिसिपल भवन क्र.30, स्थित ग्राम पठा पनिहार, प.ह.नं.43, तहसील डबरा व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर पालिका डबरा वार्ड क्र.02 में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 2475 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-रास्ता, पश्चिम में-भवन श्री हरज्ञान बघेल, उत्तर में-रास्ता एवं दक्षिण में-मंदिर है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री भारत बघेल पुत्र श्री भरोसीराम के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री भारत बघेल द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती नमनीत बघेल पत्नी श्री भारत बघेल के हित में सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किये जाने हेतु डीड का ड्राफ्ट तैयार किया गया है एवं रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व का कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री भारत बघेल एवं श्रीमती नमनीत बघेल द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान वित्तीय संस्थान टायगर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

रामलीला के लिए मानस भवन में हुआ भूमिपूजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 सितम्बर. रामलीला समारोह समिति लश्कर के तत्वावधान में होने वाली शहर की रामलीला का मंचन 22 सितंबर से किया जाएगा। इस बार रामलीला का मुख्य आकर्षण राम बारात होगी। पहली बार राम बारात लश्कर के प्रमुख बाजारों से निकाली जाएगी। रामलीला समारोह के लिए भूमिपूजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक रमेश अग्रवाल ने बताया कि इस बार रामलीला का मुख्य आकर्षण राम बारात होगी। पहली बार राम बारात फालका बाजार स्थित श्रीराम मंदिर से प्रारंभ होकर ऊंट पुल, जयेंद्रगंज, दाल बाजार, नया बाजार, लोहिया बाजार, पाटनकर बाजार, दौलतगंज, महाराज बाड़ा, सराफा बाजार होते हुए राम मंदिर पर समाप्त होगी। यहां से रामलीला के कलाकार रामलीला स्थल पर पहुंचकर लीला का मंचन करेंगे।

इस बार राम बारात में आकर्षक झांकियां भी होंगी। शुभारंभ 21 को सुंदरकांड पाठ से किया जाएगा। 22 सितंबर से रामलीला प्रारंभ हो जाएगी। केवट संवाद की लीला का मंचन इस बार रामलीला के मंच पर ही किया जाएगा। 3 अक्टूबर तक चलने वाली यह रामलीला श्रीचंद बिहारीवशिष्ठ एवं देवेंद्र वशिष्ठ के निर्देशन में श्री हित राधा कृष्ण कला मंडल की मंडली, वृंदावन द्वारा लीला मंचन किया जाएगा। यूनेस्को ने रामलीला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है।

डबल लॉक खाद वितरण केन्द्र लक्ष्मीगंज में हुआ खाद का वितरण

ग्वालियर 5 सितम्बर. लक्ष्मीगंज मंडी में विपणन संघ द्वारा संचालित डबल लॉक खाद वितरण केन्द्र पर शुक्रवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को खाद का वितरण कराया गया। इस दिन अपरान्ह तक लगभग 120 किसानों को डीएपी, यूरिया व एनपीके का वितरण किया गया। ज्ञात हो कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने लक्ष्मीगंज मंडी में विपणन संघ द्वारा संचालित डबल लॉक खाद वितरण केन्द्र पर जिला प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने संयुक्त कलेक्टर अनिल बनवारिया को हर दिन प्रातः 9 बजे से दोपहर एक बजे तक, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अनिल राघव को दोपहर एक बजे से सायंकाल 6 बजे तक एवं नायब तहसीलदार श्री रत्नेश शर्मा को प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक लक्ष्मीगंज मंडी खाद वितरण केन्द्र पर उपस्थित रहकर खाद वितरण कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, विजय गर्ग पुत्र श्री दिलीप गर्ग, निवासी- गर्ग मेडिकल एजेन्सीज, वशिष्ठ मार्ग जवाहर मार्ग कैलारस जिला मुरैना (म.प्र.) सूचित करता हूँ कि- मुझ शपथकर्ता का नाम विजय गर्ग है जोकि मेरे आधार कार्ड में अंकित है। लेकिन मुझ शपथकर्ता के पासपोर्ट तथा अंकसूची में मेरा नाम विजय कुमार गर्ग अंकित है। अतः विजय गर्ग एवं विजय कुमार गर्ग उक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही है। लेकिन भविष्य में मुझे विजय गर्ग नाम से जाना व पहचाना जावे तथा इसी नाम का मैं लेख करूंगा। समस्त सूचित हो। सत्यापित एफिडेविट क्र. 35AA 405681

डिजिटल अरेस्ट कर 38 लाख ऐंठने वाला जयपुर से पकड़ा

ग्वालियर 5 सितम्बर. शहर में रहने वाली एक महिला को डिजीटल अरेस्ट कर उनसे 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने जयपुर से दबोच लिया। क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है जिससे और मामले खुलने की संभावना है। आरोपी का नाम हरीश चौधरी पुत्र राजाराम चौधरी निवासी तेजाजी चौक मांडी फाग राजस्थान है।

क्राइम ब्रांच टीआई अमित शर्मा ने बताया कि गुलमोहर सिटी में रहने वालीं सुजाता बापट पत्नी विवेक बापट हेल्थ सेंटर शहरी परिवार कल्याण केंद्र में नौकरी करती हैं। 9 अप्रैल 2024 को सुजाता बापट के पास किसी राजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति का फोन आया और उसने म्यामार के लिए एक पार्सल बुक होने की बात कहते हुए आलमबाग पुलिस स्टेशन में संपर्क करने को कहा। राजीव गुप्ता ने ही आलमबाग पुलिस स्टेशन के नाम पर फोन कनेक्ट कराकर सुजाता बापट को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद कभी ह्यूमन ट्रैफेकिंग, कभी मनी लॉड्रिंग जैसे आरोप लगाने लगे और सीबीआई ऑफिसर से बात कराने की धमकी देने लगे। सीबीआई ऑफिस बने जालसाज ने बताया कि म्यामार में 60 लोगों के आंख, कान नाक निकाल लिए हैं और इसके एवज में सुजाता बापट के बैंक एकाउंट में 3 करोड़ 80 लाख रुपए आने की बात बताई। सुजाता ने इससे इंकार किया लेकिन जालसाज उन्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुके थे। डिजीटल अरेस्ट करने के बाद सुजाता बापट से 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। यह मामला अपराध थाने में दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच टीआई अमित शर्मा ने बताया कि मुखबिरों ने जानकारी दी कि डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी करने वाला जयपुर का निवासी है। क्राइम ब्रांच की टीम जयपुर पहुंची और वहां से आरोपी हरीश चौधरी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ग्वालियर ले आई है और उससे पूछताछ की जा रही है.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं SHYAMWATI Mother of JC-304735A Rank- SUB (SKT) Name- NETRAPAL SINGH, Resident at Tapra Gwalior Road, Near COD. Agra (U.P.) Pin-282009, सूचित करती हूं कि- मेरे पुत्र के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम SHYAM VATTI एवं जन्मतिथि 01/07/1952 त्रुटिवश अंकित है। अतः मेरा सही नाम SHYAMWATI एवं मेरी सही जन्मतिथि 01/01/1948 को मेरे पुत्र के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। सत्यापित एफीडेविट नं. BX 215295 & date 29.08.2025 before Kuldeep Singh Bhadauria Notary Public, Gwalior

रतनगढ़ माता मंदिर मेले की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक 9 को

ग्वालियर 5 सितम्बर. शारदीय नवरात्रि एवं दीपावली दौज पर पवित्र रतनगढ़ माता मंदिर पर आयोजित होने वाले मेले की व्यवस्थाओं को लेकर 9 सितम्बर को महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इस दिन यह बैठक संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री की अध्यक्षता में अपरान्ह 3 बजे दतिया जिले की सेंवढा तहसील में स्थित माता रतनगढ़ मंदिर परिसर स्थित कार्यालय में होगी।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 84 बीएनएसएस)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त बच्चू पुत्र लक्खू सिंह जाट निवासी लहचूरा मैंने भारतीय दण्ड संहिता की थाना मालनपुर का अपराध क्रमांक 223/24 धारा 109 (1), 103(1), 324(5), 191(2), 191(3), 190, 351(2),296 बीएनएस दण्डनीय अपराध किया है। (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्त बच्चू पुत्र लक्खू सिंह जाट निवासी लहचूरा मिल नही रहा है। और मुझे समाधानप्रद रूप से यह दर्शित कर दिया है बच्चू पुत्र लक्खू सिंह जाट निवासी लहचूरा का फरार हो गया है। (या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिये अपने आप को छुपा रहा है।) इसलिये इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गोहद के उक्त अभियुक्त बच्चू पुत्र लक्खू सिंह जाट निवासी लहचूरा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये न्यायालय गोहद में तारीख 10/9/25 को हाजिर होगा।

(न्यायालय की मुद्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 84 बीएनएसएस)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त बन्टी मुदगल पुत्र रामेश्वर निवासी लहचूरा मैंने भारतीय दण्ड संहिता की थाना मालनपुर का अपराध क्रमांक 223/24 धारा 109 (1), 103(1), 324(5), 191(2), 191(3), 190, 351(2),296 बीएनएस दण्डनीय अपराध किया है। (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्त बन्टी मुदगल पुत्र रामेश्वर निवासी लहचूरा मिल नही रहा है। और मुझे समाधानप्रद रूप से यह दर्शित कर दिया है कि बन्टी मुदगल पुत्र रामेश्वर निवासी लहचूरा का फरार हो गया है। (या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिये अपने आप को छुपा रहा है।) इसलिये इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गोहद के उक्त अभियुक्त बन्टी मुदगल पुत्र रामेश्वर निवासी लहचूरा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये न्यायालय गोहद में तारीख 10/9/25 को हाजिर होगा।

(न्यायालय की मुद्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 84 बीएनएसएस)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र भूप सिंह राणा निवासी लहचूरा मैंने भारतीय दण्ड संहिता की थाना मालनपुर का अपराध क्रमांक 223/24 धारा 109 (1), 103(1), 324(5), 191(2), 191(3), 190, 351(2), 296 बीएनएस दण्डनीय अपराध किया है। (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र भूप सिंह राणा निवासी लहचूरा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से यह दर्शित कर दिया है धर्मेन्द्र पुत्र भूप सिंह राणा निवासी लहचूरा का फरार हो गया है। (या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिये अपने आप को छुपा रहा है।) इसलिये इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गोहद के उक्त अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र भूप सिंह राणा निवासी लहचूरा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये न्यायालय गोहद में तारीख 10/9/25 को हाजिर होगा।

(न्यायालय की मुद्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 84 बीएनएसएस)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त प्रमोद मुदगल पुत्र रामेश्वर निवासी लहचूरा मैंने भारतीय दण्ड संहिता की थाना मालनपुर का अपराध क्रमांक 223/24 धारा 109(1), 103(1), 324(5), 191(2), 191(3), 190, 351(2),296 बीएनएस दण्डनीय अपराध किया है। (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्त प्रमोद मुदगल पुत्र रामेश्वर निवासी लहचूरा मिल नही रहा है। और मुझे समाधानप्रद रूप से यह दर्शित कर दिया है कि प्रमोद मुदगल पुत्र रामेश्वर निवासी लहचूरा का फरार हो गया है। (या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिये अपने आप को छुपा रहा है।) इसलिये इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गोहद के उक्त अभियुक्त प्रमोद मुदगल पुत्र रामेश्वर निवासी लहचूरा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये न्यायालय गोहद में तारीख 10/9/25 को हाजिर होगा।

(न्यायालय की मुद्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 84 बीएनएसएस)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त रामनिवास पुत्र मुन्ना लाल शर्मा निवासी लहचूरा मैंने भारतीय दण्ड संहिता की थाना मालनपुर का अपराध क्रमांक 223/24 धारा 109(1), 103(1), 324(5), 191(2), 191(3), 190, 351(2),296 बीएनएस दण्डनीय अपराध किया है। (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्त रामनिवास पुत्र मुन्ना लाल शर्मा निवासी लहचूरा मिल नही3 रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से यह दर्शित कर दिया है रामनिवास पुत्र मुन्ना लाल शर्मा निवासी लहचूरा का फरार हो गया है। (या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिये अपने आप को छुपा रहा है।) इसलिये इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गोहद के उक्त अभियुक्त रामनिवास पुत्र मुन्ना लाल शर्मा निवासी लहचूरा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये न्यायालय गोहद में तारीख 10/9/25 को हाजिर होगा।

(न्यायालय की मुद्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 84 बीएनएसएस)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त विनोद पुत्र इन्द्र सिंह जाट निवासी लहचूरा मैंने भारतीय दण्ड संहिता की थाना मालनपुर का अपराध क्रमांक 223/24 धारा 109(1), 103(1), 324(5), 191(2), 191(3), 190, 351(2),296 बीएनएस दण्डनीय अपराध किया है। (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्त विनोद पुत्र इन्द्र सिंह जाट निवासी लहचूरा मिल नही रहा है। और मुझे समाधानप्रद रूप से यह दर्शित कर दिया है विनोद पुत्र इन्द्र सिंह जाट निवासी लहचूरा का फरार हो गया है। (या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिये अपने आप को छुपा रहा है।) इसलिये इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गोहद के उक्त अभियुक्त विनोद पुत्र इन्द्र सिंह जाट निवासी लहचूरा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये न्यायालय गोहद में तारीख 10/9/25 को हाजिर होगा।

(न्यायालय की मुद्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 84 बीएनएसएस)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त दौलतराम शर्मा पुत्र रामप्रसाद निवासी लहचूरा मैंने भारतीय दण्ड संहिता की थाना मालनपुर का अपराध क्रमांक 223/24 धारा 109 (1), 103(1), 324(5), 191(2), 191(3), 190, 351(2), 296 बीएनएस दण्डनीय अपराध किया है। (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्त दौलतराम शर्मा पुत्र रामप्रसाद निवासी लहचूरा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से यह दर्शित कर दिया है कि अभियुक्त दौलतराम शर्मा पुत्र रामप्रसाद निवासी लहचूरा का फरार हो गया है। (या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिये अपने आप को छुपा रहा है।) इसलिये इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गोहद के उक्त अभियुक्त दौलतराम शर्मा पुत्र रामप्रसाद निवासी लहचूरा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये न्यायालय गोहद में तारीख10/9/25 को हाजिर होगा।

(न्यायालय की मुद्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 84 बीएनएसएस)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त सुनील शर्मा उर्फ फौजी पुत्र मुन्नालाल शर्मा निवासी लहचूरा मैंने भारतीय दण्ड संहिता की थाना मालनपुर का अपराध क्रमांक 223/24 धारा 109(1), 103(1), 324(5), 191(2), 191(3), 190, 351(2), 296 बीएनएस दण्डनीय अपराध किया है। (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्त सुनील शर्मा उर्फ फौजी पुत्र मुन्नालाल शर्मा निवासी लहचूरा मिल नही रहा है। और मुझे समाधानप्रद रूप से यह दर्शित कर दिया है कि बन्टी मुदगल पुत्र रामेश्वर निवासी लहचूरा का फरार हो गया है। (या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिये अपने आप को छुपा रहा है।) इसलिये इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गोहद के उक्त अभियुक्त सुनील शर्मा उर्फ फौजी पुत्र मुन्नालाल शर्मा निवासी लहचूरा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये न्यायालय गोहद में तारीख 10/9/25 को हाजिर होगा।

(न्यायालय की मुद्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

परिशिष्ट ट
प्रारूप-ण
(नियम 22 (क) (6) देखिए)
धारा 30-क के अधीन भू-खण्डों के विलियन हेतु सार्वजनिक सूचना
क्रमांक GWLLP31082503522 / दिनांक / 03/SEP/2025
क्र./1784/नग्रानि/Gwalior दिनांक 03/SEP/2025

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतदद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स (ARVIND AGRAWAL)-Mr Arvind Agrawal And Mr Anshay Agrawal जो नगर/ग्राम Jaderua_Khurd के खसरा क्रमांक हेतु आदेश क्रमांक GWLLP110922170 दिनांक 2022-09-28 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL, RESIDENTIAL - SEMI DETACHED प्रयोजन के भू-खण्ड क्रमांक PLOT NO-28, PLOT NO-29, PLOT NO-30, PLOT NO- 31 को स्वामी हैं, और श्री/श्रीमती/मेसर्स (ARVIND AGRAWAL)-Mr Arvind Agrawal And Mr Anshay Agrawal जो नगर Murar ग्राम Jaderua Khurd के खसरा क्रमांक 112/2 (5) (शामिल खसरा) में स्थित भूमि के हेतु आदेश क्रमांक GWLLP110922170 दिनांक 2022-09-28 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL, RESIDENTIAL-SEMI DETACHED प्रयोजन के भू-खण्ड अथवा नगर / ग्राम Jaderua_Khurd खसरा क्रमांक 112/2 (S) (शामिल खसरा) रकबा 0.027331 भूमि जिसका भूमि उपयोग RESIDENTIAL है, के स्वामी है द्वारा उपरोक्त भू-खण्ड/भू-खण्ड एवं भूमियों के विलियन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उक्त विलियन के बारे में अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अथवा **https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/Objection.aspx?RefApp-gUuA9Ooc3q1683** पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा के ब्यौरे तथा मर्जर की जा रही भूमि / भूखण्ड का हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/uLogin.aspx पर किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर मध्यप्रदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

ओहदपुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन-474006
क्रमांक : एडीएम / वि. अधि./ विवाह पंजीयन/60/ 2025
ग्वालियर, दिनांक 03.09.2025

// विज्ञप्ति //

आवेदकगण मोहम्मद फिरोज खान पुत्र श्री मोहम्मद अहमद खॉन निवासी सी-154 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे पटेल नगर सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र. एवं शवाना फिरोज खॉन पुत्री सैयद साजिद हुसैन जाफरी निवासी सी-154 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे पटेल नगर सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र. द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 के अन्तर्गत उनके मध्य हिन्दू रीति रिवाज से स्थान गालव गेस्ट हाउस, रूपसिंह स्टेडियम के पास सिटीसेंटर ग्वालियर म.प्र. में दिनांक 16/12/2002 सम्पन्न हुये विवाह के संबंध में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की मांग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2/ यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत और आपत्ति हो तो वह इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से तीस दिवस के अंदर यानि दिनांक 03/10/2025 तक अपनी आपत्ति अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में कार्यालयीन समय 10:30 बजे से 06:00 बजे तक दर्ज का सकते है। । नियत तिथि व्यतीत होने पर की प्रकार की शिकायत / आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी,
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

वार्ड-36 में विकास कार्यों का किया भूमि पूजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 सितम्बर. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आपका सेवक आपके द्वार के तहत शुक्रवार को वार्ड-36 में घर-घर जाकर आमजन की समस्याएं सुनीं और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही वार्ड-36 में 47 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया।

इस अवसर पर पार्षद सुश्री भावना कनौजिया, लवी खंडेलवाल, राजकुमार परमार, श्री मोहन, श्रीमती अंजलि रायजादा, सुरेंद्र चौहान, भीकम खटीक, वीरेंद्र साहू, लाल सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने विकास कार्यों का भूमिपूजन करते हुए कहा कि च्आपका सेवक आपके द्वारज् के तहत प्रत्येक गली, मोहल्ले तथा घर-घर जाकर आमजन से मिलूंगा एवं उनकी समस्या सुनकर उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि बरसात का समय चल रहा है सीवर और पेयजल की समस्या क्षेत्र में बनी हुई है इसके निदान के लिए आपके सहयोग से काम करूंगा।

श्री तोमर ने वार्ड 36 में भ्रमण के दौरान कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी मिले, इसके लिए यह अभियान का शुभारंभ किया गया है।